फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः– सुरेशचन्द्र विपक्षीः– रत्ता

किस्म मुकदमाः– वाद पत्रावली संख्याः– 24/18

दिनाकः–09.12.2019

पत्रावली पेश आज हुई वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नही हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया पत्रावली 2018 से प्रतिवादी की तामिल में है वादी का प्रतिवादी के प्रोसेज पेश करने हेतु कई अवसर दिये एवं अंतिम अवसर भी दिये गये बावजूद भी प्रोसेज पेश नही किये, वादी लम्बे समय से उपस्थित भी नही हो रहा है न ही आज उपस्थित हुआ न्यायालय द्वारा रूक–रूक कर तीन बार आवाज भी लगवाई गई बावजूद भी कोई उपस्थित नही हुआ न ही न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नही है अपने वाद में प्रभावी पैरवी नही करना चाहता है।

अतः वादी का वाद तामिल के अभाव में आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2020.01.08 13:04:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: